

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

पत्रांक:- 26 / उ०शि०नि०मं० / क०क्षे० / शि०नि० / 2025-26,

दिनांक:- 13/05/2025

अधिशाली अभियन्ता,
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०,
विद्युत वितरण खण्ड गोपेश्वर।

विषय:- उपभोक्ता वाद संख्या 442/2025-26 के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक वाद संख्या 442/2025-26 परिवादी श्री राजेन्द्र सिंह ग्राम-गोविन्दघाट जोशीमठ, के शिकायत पत्र के सम्बन्ध में मंच द्वारा दिये गये निर्णय की प्रति संलग्नकर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि, दिये गये निर्णयों का अनुपालन करते हुए आप अनुपालनार्थ आख्या से 30 दिनों के अन्तर्गत अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

संलग्न:- यथापरोक्त।

(अर्जुन सिंह बिष्ट)

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. कम्पनी सचिव, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०, वि०का०वि०ग०सि०म०, कांवली रोड, देहरादून।
2. विद्युत उपखण्ड अधिकारी, वि०वि०उपखण्ड जोशीमठ।
3. परिवादी श्री राजेन्द्र सिंह ग्राम-गोविन्दघाट जोशीमठ।
4. फाइल नं०-442/उ.शि.नि.मं./क.क्षे./शि.नि./2025-26।
5. गार्ड फाइल।

O/o GM(L)/CS, UPCL
VCV Gabar Singh Urja Bhawan, D.Dun
Dy. No. 798 File No. 18 Dt. 16/5/25
SLO-MN/SLO-MK/Ad-AR/DEO-SM
Ad-BPS/OA-DK/St.-HG/DEO-DR
CLK-VSN/DEO-JK/MT-I/MT-II

GM (L) & CS

(अर्जुन सिंह बिष्ट)
सदस्य-उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

पत्रांक:- 26 / उ०शि०नि०म० / क०क्ष० / शि०नि० / 2025-26.

दिनांक:- 13 / 05 / 2025

वाद संख्या 442 / 2025-26

श्री राजेन्द्र सिंह
ग्राम-गोविन्दघाट जोशीमठ।

बनाम

परिवादी

अधिकासी अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड,
गोपेश्वर।

कोरम

विपक्षी

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट
श्री सन्तोष डिमरी
श्री रघुराज सिंह

उपभोक्ता सदस्य
विधि सदस्य
तकनीकी सदस्य

निर्णय

- परिवाद विद्युत बिल के सन्दर्भ में है। श्री राजेन्द्र सिंह ग्राम-गोविन्दघाट जोशीमठ, वि०वि०खण्ड गोपेश्वर ने दिनांक 14.01.2025 को मेल द्वारा विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग को अवगत किया कि उपभोक्ता का बट्टीनाथ धाम में एक भोजनालय है, जो केवल बट्टीनाथ धाम एवं हेमकुंड साहब के कपाट खुलने के दौरान ही कार्यमान होता है, किन्तु कपाट बंद होने एवं लॉकडाउन के दौरान किसी कारणवश मीटर की डिस्पले खराब होने के कारण विभाग द्वारा बिल फिक्स कर दिया था। विभाग द्वारा उस दौरान उपभोक्ता को ₹0 216724 का बिल दिया गया जिसमें से उपभोक्ता द्वारा ₹0 10000 जमा कर दिया गया था। परन्तु वर्तमान समय में विभाग द्वारा उपभोक्ता को ₹0 287686 का बिल दिया गया है जिससे उपभोक्ता संतुष्ट नहीं हैं। उपभोक्ता द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
- मंच द्वारा दर्ज शिकायत की सुनवाई दिनांक 06.02.2025 के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुए, विभाग की ओर से अधिकासी अभियंता उपस्थित हुए। विभाग द्वारा मंच से उपभोक्ता के मीटर का निरीक्षण करने के लिए एक अगली तिथि की मांग की गई।
- मंच द्वारा दर्ज शिकायत की सुनवाई दिनांक 24.02.2025, 19.03.2025, 11.04.2025, तथा 25.04.2025 के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुए, विभाग की ओर से श्री आशीष चौधरी सहायक अभियंता (राजस्व) वि०वि० खण्ड गोपेश्वर द्वारा मंच के सम्मुख उक्त उपभोक्ता की कन्ज्यूमर हिस्ट्री मंच के सम्मुख प्रेषित की गई।
- मंच द्वारा पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों से यह विदित है कि उपभोक्ता का स्वीकृत विद्युत भार 5 किलोवाट है, तथा उपभोक्ता की औसत विद्युत खपत स्वीकृत विद्युत भार 5 किलोवाट की तुलना में तकनीकी दृष्टि से अधिक नहीं है। मंच उपभोक्ता के परिवाद से सहमत नहीं है, एवं शिकायत बलहीन होने के कारण निरस्त करने योग्य है। UERC(The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) 2020 के विनियम 5.1.3(4) में यह विदित है कि उपभोक्ता अपने मीटर की परिशुद्धता से संतुष्ट नहीं होने की स्थिति पर विभाग द्वारा निर्धारित चेक मीटर का शुल्क भुगतान कर विभाग द्वारा मीटर का परीक्षण करवा सकता है, मीटर त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर उपभोक्ता द्वारा मीटर की परिशुद्धता जाँचने के लिए दिए गये शुल्क को विद्युत बिल में समायोजित कर वापस कर दिया जाएगा। विनियम 5.1.3(10)(a) एवं (b) में यह भी उल्लेखित है कि परीक्षण के बाद मीटर त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर विभाग उपभोक्ता की प्रतिशत त्रुटि के आधार पर विद्युत बिलों में सुधार करेगा एवं मीटर प्रतिस्थापन/सुधार भी करेगा।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद बलहीन होने के कारण अस्वीकार किया जाता है। इस निर्णय से संतुष्ट न होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून में अपील कर सकता है।

तदनुसार परिवाद खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

अर्जुन सिंह बिष्ट
(उपभोक्ता सदस्य)
सदस्य-उपभोक्ता

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सन्तोष डिमरी
(विधि सदस्य)
सदस्य-विधि

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

रघुराज सिंह
(तकनीकी सदस्य)
सदस्य-तकनीकी

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

पत्रांक:- 27 /उ०शि०नि०मं०/क०क्षे०/शि०नि०/2025-26,

दिनांक:- 13/05/2025

अधिशाली अभियन्ता,
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०,
विद्युत वितरण खण्ड गोपेश्वर।

विषय:- उपभोक्ता वाद संख्या 443/2025-26 के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक वाद संख्या 443/2025-26 परिवादी श्री सागर कुमार होटल- विलप टॉप औली, जोशीमठ, के शिकायत पत्र के सम्बन्ध में मंच द्वारा दिये गये निर्णय की प्रति संलग्नकर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि, दिये गये निर्णयों का अनुपालन करते हुए आप अनुपालनार्थ आख्या से 30 दिनों के अन्तर्गत अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

संलग्न:- यथापरोक्त।

(अर्जुन सिंह बिष्ट)

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. कम्पनी सचिव, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०, वि०क्रा०वि०ग०सि०मं०, कांवली रोड़, देहरादून।
2. विद्युत उपखण्ड अधिकारी, वि०वि०उपखण्ड जोशीमठ।
3. परिवादी श्री सागर कुमार होटल- विलप टॉप औली, जोशीमठ।
4. फाइल नं०-443/उ.शि.नि.मं./क.क्षे./शि.नि./2025-26।
5. गार्ड फाइल।

(सन्दर्भित आदेश अगले पृष्ठ क्रमांक 01 एवं 02 में संलग्न)

(अर्जुन सिंह बिष्ट)

सदस्य-उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL



विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

पत्रांक:- 27 /उ०शि०नि०मं० /क०क्ष० /शि०नि० /2025-26,

दिनांक:- 13/05/2025

वाद संख्या 443 / 2025-28

श्री सागर कुमार
होटल- क्लिप टॉप क्लव औली,
जोशीमठ।

-

परिवादी

बनाम

अधिकासी अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड,
गोपेश्वर।

-

विपक्षी

कोरम

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट
श्री सन्तोष डिमरी
श्री रघुराज सिंह

उपभोक्ता सदस्य
विधि सदस्य
तकनीकी सदस्य

निर्णय

- परिवाद अधिक विद्युत बिल के सन्दर्भ में है। श्री सागर कुमार होटल- क्लिप टॉप औली, जोशीमठ, वि०वि०खण्ड गोपेश्वर ने दिनांक 17.01.2025 को पत्र के माध्यम से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग को अवगत किया कि, प्रार्थी की शिकायत के निम्न बिन्दु हैं-
 - कि प्रार्थी को वर्ष 2014 से केवल दो फेस में ही विद्युत आपूर्ति की जा रही है। जबकि विद्युत बिल प्रतिमाह तीन फेस का दिया जा रहा है।
 - कि दिनांक 12.10.2021 को प्रार्थी द्वारा विभाग में चेक मीटर की धनराशि जमा की गई थी, किन्तु वर्तमान तक विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
 - कि दिनांक 02.01.2008 को प्रार्थी द्वारा विभाग में चार लाख छः सौ सत्ताईस रुपये चेक द्वारा विद्युत संयंत्र के लिए जमा किये हैं, किन्तु वर्तमान तक विभाग द्वारा कोई भी संयंत्र नहीं लगाया गया है।
 - विभाग द्वारा माह जुलाई 2024 तथा माह अगस्त 2024 के बिल प्रतिमाह दो लाख सोलह हजार पाँच सौ सत्तावन रुपये के दिये गये हैं, जबकि दिनांक 17.06.2024 से 31.12.2024 तक प्रार्थी का विद्युत संयोजन विच्छेदित था।
 - विभाग द्वारा प्रार्थी को बीस लाख रुपये का गलत बिल बनाकर दिया गया है।
- मंच द्वारा दर्ज शिकायत की सुनवाई दिनांक 06.02.2025 के दौरान उपभोक्ता के प्रतिनिधि श्री किशोर कुमार उपस्थित हुए, विभाग की ओर से अधिकासी अभियंता वि०वि० खण्ड गोपेश्वर उपस्थित हुए। मंच द्वारा उपभोक्ता को निर्देशित किया गया कि वह अपने संयोजन पर ट्रांसफार्मर स्थापित करें, एवं विभाग उपभोक्ता के संयोजन पर चेक मीटर स्थापित कर रिपोर्ट अगली सुनवाई में मंच में प्रस्तुत करें।
- दर्ज शिकायत की सुनवाई दिनांक 24.02.2025, 19.03.2025 एवं 11.04.2025 के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुए, विभाग की ओर से श्री आशीष चौधरी सहायक अभियंता (राजस्व) वि०वि०खण्ड गोपेश्वर उपस्थित हुए, विभाग द्वारा मंच के सम्मुख उपभोक्ता के चेक मीटर रिपोर्ट प्रस्तुत की।
- मंच द्वारा शिकायत की अन्तिम सुनवाई दिनांक 25.4.2025 के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुए, विभाग की ओर से श्री आशीष चौधरी सहायक अभियंता (राजस्व) वि०वि०खण्ड गोपेश्वर उपस्थित हुए। मंच द्वारा पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों से स्पष्ट है कि उपभोक्ता के बिल चेक मीटर के अनुसार संशोधित करने योग्य हैं।



विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

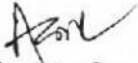
पत्रांक:- 27 / उ०शि०नि०मं० / क०क्षे० / शि०नि० / 2025-26.

दिनांक:- 13/05/2025

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार करते हुए मंच विभाग को आदेशित करता है कि, उपभोक्ता के विद्युत बिल, चेक मीटर की रसीद/आवेदन से वर्तमान तक IDF मानकर संशोधित कर प्रेषित करें। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून में अपील कर सकता है।

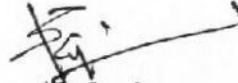
तदनुसार परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।



अर्जुन सिंह बिष्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

सदस्य-उपभोक्ता

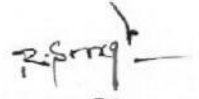
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL



सन्तोष डिमरी
(विधि सदस्य)

सदस्य-विधि

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL



रघुराज सिंह
(तकनीकी सदस्य)

सदस्य-तकनीकी

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

पत्रांक:- 28 / उ०शि०नि०मं० / क०क्षे० / शि०नि० / 2025-26,

दिनांक:- 13/05/2025

अधिशाली अभियन्ता,
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०,
विद्युत वितरण खण्ड गोपेश्वर।

विषय:- उपभोक्ता वाद संख्या 467 / 2025-26 के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक वाद संख्या 467 / 2025-26 परिवादी श्री विनोद प्रसाद भट्ट, ग्राम व पो०-गोपेश्वर, के शिकायत पत्र के सम्बन्ध में मंच द्वारा दिये गये निर्णय की प्रति संलग्नकर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि, दिये गये निर्णयों का अनुपालन करते हुए आप अनुपालनार्थ आख्या से 30 दिनों के अन्तर्गत अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

संलग्न:- यथापरोक्त।

(अर्जुन सिंह बिष्ट)

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

- ✓ कम्पनी सचिव, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०, वि०क्रा०वि०ग०सि०भ०, कांवली रोड, देहरादून।
2. परिवादी श्री विनोद प्रसाद भट्ट, ग्राम व पो०-गोपेश्वर।
3. फाइल नं०-467 / उ.शि.नि.मं. / क.क्षे. / शि.नि. / 2025-26।
4. गार्ड फाइल।

(अर्जुन सिंह बिष्ट)

सदस्य-उपभोक्ता

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (गण्डल) UPCL



विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

पत्रांक:- 28 /उ०शि०नि०मं०/क०क्ष०/शि०नि०/2025-26,

दिनांक:- 13/05/2025

वाद संख्या 467 / 2025-26

श्री विनोद प्रसाद भट्ट,
ग्राम व पो०- गोपेश्वर।

-

परिवादी

अधिशाली अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड,
गोपेश्वर।

बनाम

-

विपक्षी

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट
श्री सन्तोष डिमरी
श्री रघुराज सिंह

कोरम

उपभोक्ता सदस्य
विधि सदस्य
तकनीकी सदस्य

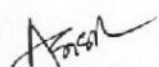
निर्णय

1. परिवाद अधिक विद्युत बिल के सन्दर्भ में है। श्री विनोद प्रसाद भट्ट, ग्राम व पो०-गोपेश्वर, वि०वि०खण्ड गोपेश्वर ने दिनांक 24.01.2025 को पत्र के माध्यम से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग को अवगत किया कि, प्रार्थी के विद्युत संयोजन GP20116001343 पर नवम्बर 2024 से फरवरी 2025 तक के बिल N.A में रू० 2553.88 का बिल दिया गया है, जो उपभोक्ता की विद्युत आपूर्ति से बहुत अधिक है। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
2. मंच द्वारा दर्ज शिकायत की सुनवाई दिनांक 24.02.2025, 19.03.2025, एवं 11.04.2025 के दौरान उपभोक्ता श्री विनोद प्रसाद भट्ट उपस्थित हुए, विभाग की ओर से श्री आशीष चौधरी सहायक अभियंता (राजस्व) वि०वि० खण्ड गोपेश्वर उपस्थित हुए। मंच द्वारा विभाग को आदेशित किया गया कि विभाग उपभोक्ता का खराब मीटर बदलकर नया मीटर स्थापित करें, एवं उपभोक्ता विभाग में अपने बिल के भुगतान के ऐवज में रू० 80000 जमा करें।
3. मंच द्वारा शिकायत की अगली सुनवाई दिनांक 25.04.2025 के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुए, विभाग की ओर से श्री आशीष चौधरी सहायक अभियंता (राजस्व) वि०वि० खण्ड गोपेश्वर उपस्थित हुए।
4. मंच द्वारा पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार उपभोक्ता का दिनांक 14.12.2024 का विद्युत बिल पिछले बिलों की तुलना में अधिक होने के कारण संशोधित करने योग्य है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार करते हुए मंच विभाग को आदेशित करता है कि, विभाग उपभोक्ता के दिनांक 14.12.2024 का विद्युत बिल पूर्व की विद्युत खपत के अनुसार संशोधित करें। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून में अपील कर सकता है।

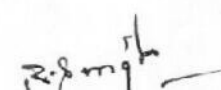
तदनुसार परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


अर्जुन सिंह बिष्ट
(उपभोक्ता सदस्य)
सदस्य-उपभोक्ता

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL


सन्तोष डिमरी
(विधि सदस्य)
सदस्य-विधि

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL


रघुराज सिंह
(तकनीकी सदस्य)
सदस्य-तकनीकी

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL



विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

पत्रांक:- 29 / उ०शि०नि०मं० / क०क्षे० / शि०नि० / 2025-26,

दिनांक:- 13/05/2025

अधिशाली अभियन्ता,
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०,
विद्युत वितरण खण्ड गोपेश्वर।

विषय:- उपभोक्ता वाद संख्या 477/2025-26 के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक वाद संख्या 477/2025-26 परिवादी श्री शैलेन्द्र कुमार, ग्राम व पो०-मायापुर, के शिकायत पत्र के सम्बन्ध में मंच द्वारा दिये गये निर्णय की प्रति संलग्नकर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि, दिये गये निर्णयों का अनुपालन करते हुए आप अनुपालनार्थ आख्या से 30 दिनों के अन्तर्गत अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

संलग्न:- यथापरोक्त।

(अर्जुन सिंह बिष्ट)

सदस्य-उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. कम्पनी सचिव, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०, वि०का०वि०ग०सि०म०, कांवली रोड़, देहरादून।
2. परिवादी श्री शैलेन्द्र कुमार, ग्राम व पो०-मायापुर।
3. फाइल नं०-477/उ.शि.नि.मं./क.क्षे./शि.नि./2025-26।
4. गार्ड फाइल।

(अर्जुन सिंह बिष्ट)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

पत्रांक:- 29 / उ०शि०नि०मं० / क०क्ष० / शि०नि० / 2025-26,

दिनांक:- 13/05/2025

वाद संख्या 477 / 2025-26

श्री शैलेन्द्र कुमार
ग्राम व पो०-मायापुर।

-

परिवादी

बनाम

अधिशाली अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड,
गोपेश्वर।

-

विपक्षी

कोरम

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट
श्री सन्तोष डिमरी
श्री रघुराज सिंह

उपभोक्ता सदस्य
विधि सदस्य
तकनीकी सदस्य

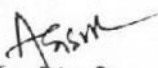
निर्णय

1. परिवाद विद्युत बिल के सन्दर्भ में है। श्री शैलेन्द्र कुमार, ग्राम व पो०-मायापुर, वि०वि०खण्ड गोपेश्वर ने दिनांक 24.02.2025 को पत्र के माध्यम से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग को अवगत किया कि विभाग द्वारा प्रार्थी का संयोजन वर्ष 2022 में किया गया था किन्तु उपभोक्ता को वर्तमान तक विद्युत बिल नहीं दिया गया। उपभोक्ता द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
2. मंच द्वारा दर्ज शिकायत की सुनवाई दिनांक 19.03.2025, 11.04.2025, तथा 25.04.2025 के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुए, विभाग की ओर से श्री आशीष चौधरी सहायक अभियंता (राजस्व) वि०वि० खण्ड गोपेश्वर उपस्थित हुए। विभाग द्वारा मंच के सम्मुख उपभोक्ता की कन्ज्यूमर हिस्ट्री प्रेषित कर अवगत किया गया कि विभाग द्वारा उपभोक्ता को नियमित विद्युत बिल निर्गत किये जा रहे हैं।
3. मंच द्वारा पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार मंच द्वारा पाया गया कि विभाग द्वारा उपभोक्ता को नियमित विद्युत बिल दिये जा रहे हैं।

आदेश

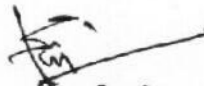
परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार करते हुए मंच विभाग को आदेशित करता है कि, विभाग उपभोक्ता को वर्तमान विद्युत बिल उपलब्ध कराये, एवं उपभोक्ता अपने मोबाइल में ऑनलाइन बिलिंग ऐप इंस्ट्राल करें ताकि उपभोक्ता को नियमित विद्युत बिल प्राप्त हो सके। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून में अपील कर सकता है।

तदनुसार परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।



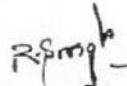
अर्जुन सिंह बिष्ट
(उपभोक्ता सदस्य)
सदस्य-उपभोक्ता

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL



सन्तोष डिमरी
(विधि सदस्य)
सदस्य-विधि

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL



रघुराज सिंह
(तकनीकी सदस्य)
सदस्य-तकनीकी

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

पत्रांक:- 30 /उ०शि०नि०मं०/क०क्षे०/शि०नि०/2025-26,

दिनांक:- 13/05/2025

अधिशाली अभियन्ता,

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०,

विद्युत वितरण खण्ड गोपेश्वर।

विषय:- उपभोक्ता वाद संख्या 478/2025-26 के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक वाद संख्या 478/2025-26 परिवादी श्री पीताम्बर सिंह, प्रधान प्रशासक ग्राम पंचायत माणा, के शिकायत पत्र के सम्बन्ध में मंच द्वारा दिये गये निर्णय की प्रति संलग्नकर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि, दिये गये निर्णयों का अनुपालन करते हुए आप अनुपालनार्थ आख्या से 30 दिनों के अन्तर्गत अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

संलग्न:- यथापरोक्त।

(अर्जुन सिंह बिष्ट)

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. कम्पनी सचिव, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०, वि०क्रा०वि०ग०सि०म०, कांवली रोड़, देहरादून।
2. विद्युत उपखण्ड अधिकारी, वि०वि०उपखण्ड जोशीमठ।
3. परिवादी श्री पीताम्बर सिंह, प्रधान प्रशासक ग्राम पंचायत माणा,।
4. फाइल नं०-478/उ.शि.नि.मं./क.क्षे./शि.नि./2025-26।
5. गार्ड फाइल।

(अर्जुन सिंह बिष्ट)

सदस्य-उपभोक्ता

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

पत्रांक:- 30 /उ०शि०नि०मं० /क०क्ष० /शि०नि० /2025-26.

दिनांक:- 13/05/2025

वाद संख्या 478 /2025-26

श्री पीताम्बर सिंह, प्रधान प्रशासक
ग्राम पंचायत माणा,
जिला-चमोली।

-

परिवादी

बनाम

अधिशाली अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड,
गोपेश्वर।

-

विपक्षी

कोरम

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट
श्री सन्तोष डिमरी
श्री रघुराज सिंह

उपभोक्ता सदस्य
विधि सदस्य
तकनीकी सदस्य

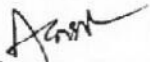
निर्णय

- परिवाद अधिक विद्युत बिल के सन्दर्भ में है। श्री पीताम्बर सिंह, प्रधान प्रशासक ग्राम पंचायत माणा, वि०वि०खण्ड गोपेश्वर ने दिनांक 27.02.2025 को पत्र के माध्यम से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग को अवगत किया कि, प्रार्थी के ग्राम के विद्युत उपभोक्ताओं के विद्युत बिल विगत एक वर्ष से बहुत अधिक आ रहे हैं, एवं कई उपभोक्ताओं का विद्युत भार भी एक किलोवाट से तीन किलोवाट कर दिया गया है। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
- मंच द्वारा दर्ज शिकायत की सुनवाई दिनांक 19.03.2025, 11.04.2025 एवं 25.04.2025 के दौरान उपभोक्ता श्री पीताम्बर सिंह उपस्थित हुए, विभाग की ओर से श्री आशीष चौधरी सहायक अभियंता (राजस्व) वि०वि० खण्ड गोपेश्वर उपस्थित हुए। उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार मंच द्वारा उपभोक्ता की शिकायत को सही पाया गया।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार करते हुए मंच द्वारा विभाग को आदेशित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत माणा के घरेलू विद्युत बिलों को RTS - 1 से RTS - 1 A में परिवर्तित करें। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून में अपील कर सकता है।

तदनुसार परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।



अर्जुन सिंह बिष्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

सदस्य-उपभोक्ता

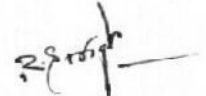
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL



सन्तोष डिमरी
(विधि सदस्य)

सदस्य-विधि

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL



रघुराज सिंह
(तकनीकी सदस्य)

सदस्य-तकनीकी

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

पत्रांक:- 31 / उ०शि०नि०मं० / क०क्षे० / शि०नि० / 2025-26,

दिनांक:- 13 / 05 / 2025

अधिशाली अभियन्ता,

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०,

विद्युत वितरण खण्ड, नारायणबगड़।

विषय:- उपभोक्ता वाद संख्या 437 / 2025-26 के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक वाद संख्या 437 / 2025-26 परिवादी समस्त ग्रामवासी ग्राम पंचायत-त्वांणी देवाल, के शिकायत पत्र के सम्बन्ध में मंच द्वारा दिये गये निर्णय की प्रति संलग्नकर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि, दिये गये निर्णयों का अनुपालन करते हुए आप अनुपालनार्थ आख्या से 30 दिनों के अन्तर्गत अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

संलग्न:- यथापरोक्त।

(अर्जुन सिंह बिष्ट)

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. कम्पनी सचिव, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०, वि०क्रा०वि०ग०सि०म०, कांवली रोड़, देहरादून।
2. परिवादी समस्त ग्रामवासी ग्राम पंचायत-त्वांणी देवाल।
3. फाइल नं०-437 / उ.शि.नि.मं. / क.क्षे. / शि.नि. / 2025-26।
4. गार्ड फाइल।

(अर्जुन सिंह बिष्ट)

सदस्य-उपभोक्ता

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

पत्रांक:- 31 / उ०शि०नि०मं० / क०क्षे० / शि०नि० / 2025-26,

दिनांक:- 13/08/2025

वाद संख्या 437 / 2025-26

समस्त ग्रामवासी
ग्राम पंचायत-ल्वाणी
देवाल।

-

परिवादी

अधिशाली अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड,
नारायणबगड़।

बनाम

-

विपक्षी

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट
श्री सन्तोष डिमरी
श्री रघुराज सिंह

कोरम

उपभोक्ता सदस्य
विधि सदस्य
तकनीकी सदस्य

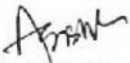
निर्णय

1. परिवाद नये विद्युत पोल/लाइन लगाने के सन्दर्भ में है। उपभोक्ता समस्त ग्रामवासी ग्राम पंचायत-ल्वाणी देवाल, का शिकायती पत्र उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को दिनांक 28.11.2024 को प्राप्त हुआ। जिसे वाद सं०- 437 में दर्ज कर लिया गया है।
2. शिकायतकर्ताओं के अनुसार ग्रामपंचायत ल्वाणी के तोकों (ल्वाणी, ईगरपाठ, मगजीना, ग्वालकुडी, दुनारगैर आदि) में अधिकांश विद्युत पोल/लाइन क्षतिग्रस्त एवं तारें झूल रही हैं, जिससे विद्युत आपूर्ति सुचारु रूप से नहीं मिलती है। उपभोक्ताओं द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
3. मंच द्वारा दर्ज शिकायत की सुनवाई दिनांक 23.12.2024 के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुए, विभाग की ओर से श्री अतुल कुमार उपखण्ड अधिकारी वि०वि०उपखण्ड थराली उपस्थित हुए, विभाग द्वारा मंच को अवगत किया गया कि उक्त शिकायतकर्ताओं की शिकायत के समाधान के लिए कार्य गतिमान है। मंच द्वारा विभाग को आदेशित किया गया कि शिकायतकर्ताओं की शिकायत के समाधान में की गई कार्रवाई से 30 दिनों के अन्तर्गत मंच को अवगत करें।
4. विभाग द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 359/वि०वि०ख०नाब०/दिनांक 25.04.2025 के द्वारा मंच को अवगत किया गया कि विभाग द्वारा उक्त शिकायतकर्ताओं की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद का समाधान वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कर दिया गया है। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून में अपील कर सकता है।

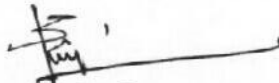
पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।



अर्जुन सिंह बिष्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

सदस्य-उपभोक्ता

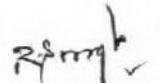
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL



सन्तोष डिमरी
(विधि सदस्य)

सदस्य-विधि

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL



रघुराज सिंह
(तकनीकी सदस्य)

सदस्य-तकनीकी

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

पत्रांक:- 32/उ०शि०नि०मं०/क०क्षे०/शि०नि०/2025-26,

दिनांक:- 13/05/2025

अधिकासी अभियन्ता,

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०,

विद्युत वितरण खण्ड नारायणबगड़।

विषय:- उपभोक्ता वाद संख्या 486/2025-26 के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक वाद संख्या 486/2025-26 परिवादी श्री शेर सिंह, ग्राम-इछोली, देवाल के शिकायत पत्र के सम्बन्ध में मंच द्वारा दिये गये निर्णय की प्रति संलग्नकर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि, दिये गये निर्णयों का अनुपालन करते हुए आप अनुपालनार्थ आख्या से 30 दिनों के अन्तर्गत अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

संलग्न:- यथापरोक्त।

(अर्जुन सिंह बिष्ट)

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. कम्पनी सचिव, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०, वि०क्रा०वि०ग०सि०म०, कांवली रोड, देहरादून।
2. श्री शेर सिंह, ग्राम-इछोली, देवाल।
3. फाइल नं०-486/उ.शि.नि.मं./क.क्षे./शि.नि./2025-26।
4. गार्ड फाइल।

(अर्जुन सिंह बिष्ट)

सदस्य-उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

पत्रांक:- 32 /उ०शि०नि०मं० /क०क्ष० /शि०नि० /2025-26,

दिनांक:-13 /05 /2025

वाद संख्या 486 /2025-26

श्री शेर सिंह
ग्राम-इछोली देवाल।

परिवादी

बनाम

अधिकासी अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड,
नारायणबगड़।

-

विपक्षी

कोरम

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट
श्री सन्तोष डिमरी
श्री रघुराज सिंह

उपभोक्ता सदस्य
विधि सदस्य
तकनीकी सदस्य

निर्णय

1. परिवाद अधिक विद्युत बिल के सन्दर्भ में है। श्री शेर सिंह, ग्राम-इछोली, देवाल वि०वि०खण्ड नारायणबगड़ ने दिनांक 28.03.2025 को पत्र के माध्यम से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग को अवगत किया कि विभाग द्वारा उपभोक्ता को मार्च 2025 का विद्युत बिल सामान्य से बहुत अधिक है। उपभोक्ता द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
2. मंच द्वारा दर्ज शिकायत की सुनवाई दिनांक 11.4.2025 एवं 25.04.2025 के दौरान उपभोक्ता श्री शेर सिंह उपस्थित हुए, विभाग की ओर से श्री अजय बर्तवाल विभागीय प्रतिनिधि वि०वि०खण्ड नारायणबगड़ उपस्थित हुए। विभाग ने अपने कार्यालय पत्रांक 358/वि०वि०ख०नाब०/दिनांक 25.04.2025 द्वारा मंच को अवगत किया कि उपभोक्ता का बिल मार्च 2025 में अधिक आने के कारण उपभोक्ता द्वारा चेक मीटर के लिए आवेदन किया गया था, एवं उपभोक्ता के परिसर में चेक मीटर स्थापित कर फाइनलाइज्ड कर दिया गया है, जिसमें 2 प्रतिशत का अन्तर आया है, जिससे उपभोक्ता का विद्युत बिल संशोधित कर रु 2469.00 धनराशि का समायोजित कर दिया गया है।
3. मंच द्वारा पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार विभाग द्वारा उपभोक्ता की शिकायत का समाधान कर दिया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद का समाधान वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कर दिया गया है। मंच विभाग को आदेशित करता है कि उपभोक्ता की विद्युत लाइन निकट के कियी अन्य पोल पर शिफ्ट करें। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून में अपील कर सकता है।

तदनुसार परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

अर्जुन सिंह बिष्ट
(उपभोक्ता सदस्य)
सदस्य-उपभोक्ता

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सन्तोष डिमरी
(विधि सदस्य)
सदस्य-विधि

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

रघुराज सिंह
(तकनीकी सदस्य)

सदस्य-तकनीकी
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

पत्रांक:- 37 /उ०शि०नि०मं०/क०क्ष०/शि०नि०/2025-26,

दिनांक:- 20/06/2025

अधिशाली अनियन्ता,
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०,
विद्युत वितरण खण्ड गोपेश्वर।

विषय:- उपभोक्ता वाद संख्या 489/2025-26 के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक वाद संख्या 489/2025-26 परिवादी श्रीमती सुधा रावत पत्नी श्री पंचम सिंह रावत निवासी- पी०जी० कालेज, निकट: पुस्तकालय गोपेश्वर, के शिकायत पत्र के सम्बन्ध में मंच द्वारा दिये गये निर्णय की प्रति संलग्नकर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि, दिये गये निर्णयों का अनुपालन करते हुए आप अनुपालनार्थ आख्या से 30 दिनों के अन्तर्गत अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

संलग्न:- यथापरोक्त।

(अर्जुन सिंह बिष्ट)

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. कम्पनी सचिव, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०, वि०क्रा०वि०ग०सि०म०, कांवली रोड़, देहरादून।
2. परिवादी श्रीमती सुधा रावत पत्नी श्री पंचम सिंह रावत निवासी- पी०जी० कालेज, निकट पुस्तकालय गोपेश्वर।
3. फाइल नं०-489/उ.शि.नि.मं./क.क्षे./शि.नि./2025-26।
4. गार्ड फाइल।

O/o GM(L)/CS, UPCL
VCV Gabar Singh Urja Bhawan, D.Dun
Dy. No. 1018.....File No. 15 Dt. 29/6/25
SLO-MN/SLO-MK/Ad-AR/DEO-SM
Ad-BPS/OA-DK/St.-HG/DEO-DR
CLK-VSN/DEO-JK/MT-I/MT-II

GM (L) & CS

(अर्जुन सिंह बिष्ट)

सदस्य-उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

R.K.
Mal

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

पत्रांक:- 37 / उ०शि०नि०मं० / क०क्ष० / शि०नि० / 2025-26,

दिनांक:- 20/06/2025

वाद संख्या 489 / 2025-26

श्रीमती सुधा रावत पत्नी श्री पंचम सिंह रावत,
निवासी- पी०जी० कालेज, निकट: पुस्तकालय
जिला-चमोली।

परिवादी

बनाम

अधिकासी अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड,
गोपेश्वर।

विपक्षी

कोरम

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट
श्री सन्तोष डिमरी
श्री रघुराज सिंह

उपभोक्ता सदस्य
विधि सदस्य
तकनीकी सदस्य

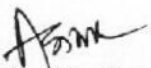
निर्णय

- परिवाद चेक मीटर के सन्दर्भ में है। श्रीमती सुधा रावत पत्नी श्री पंचम सिंह रावत, निवासी- पी०जी० कालेज, निकट पुस्तकालय गोपेश्वर, वि०वि०खण्ड गोपेश्वर ने दिनांक 11.04.2024 को पत्र के माध्यम से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग को अवगत किया कि, प्रार्थी की शिकायत के निम्न बिन्दु हैं-
 - परिवादी के नाम से उसके पी०जी० कॉलेज निकट पुस्तकालय में विरुद्ध पक्ष के यहाँ से विद्युत का कनेक्शन लिया है, जिसका कनेक्शन नं०-GP20114846465 है।
 - परिवादी द्वारा दिनांक 6.3.2025 को चेक मीटर चाहने हेतु आवेदन कर शुल्क जमा किया गया था जिसका पंजीकरण नं०-20603250427 है जो आज तक नहीं लगाया गया है।
 - विरुद्ध पक्ष के द्वारा परिवादी के मीटर को बिना विद्युत सप्लाई के ही चेक किया गया।
- मंच द्वारा दर्ज शिकायत की सुनवाई दिनांक 25.04.2025 के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुए, विभाग की ओर से श्री आशीष चौधरी सहायक अभियंता (राजस्व) वि०वि० खण्ड गोपेश्वर उपस्थित हुए, विभाग द्वारा मंच से शिकायत के समाधान के लिए एक अगली तिथि की मांग की गई।
- मंच द्वारा दर्ज शिकायत की सुनवाई दिनांक 09.05.2025 के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुए, विभाग की ओर से श्री आशीष चौधरी सहायक अभियंता (राजस्व) वि०वि० खण्ड गोपेश्वर उपस्थित हुए, विभाग ने मंच के सम्मुख अवर अभियन्ता गोपेश्वर की स्थलीय रिपोर्ट प्रस्तुत की।
- मंच द्वारा पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार उपभोक्ता द्वारा विभाग को चेक मीटर लगाने से मना किया गया एवं अवगत किया गया कि मंच से शिकायत का निर्णय होने के पश्चात् ही चेक मीटर लगाया जाए।

आदेश

मंच द्वारा परिवादी का प्रस्तुत परिवाद स्वीकार करते हुए, विभाग को आदेशित किया जाता है कि उपभोक्ता के परिसर पर चेक मीटर स्थापित करें, एवं चेक मीटर की फाइनल रिपोर्ट के अनुसार उपभोक्ता के विद्युत बिलों को संशोधित करें। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून में अपील कर सकता है।

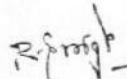
तदनुसार परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


अर्जुन सिंह बिष्ट
(उपभोक्ता सदस्य)
सदस्य-उपभोक्ता

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL


सन्तोष डिमरी
(विधि सदस्य)
सदस्य-विधि

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL


रघुराज सिंह
(तकनीकी सदस्य)
सदस्य-तकनीकी

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

पत्रांक:- 38 /उ०शि०नि०मं० / क०क्षे० / शि०नि० / 2025-26,

दिनांक:- 20/06/2025

अधिशारी अभियन्ता,
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०,
विद्युत वितरण खण्ड रुद्रप्रयाग।

विषय:- उपभोक्ता वाद संख्या 04/2025-26 के सम्बन्ध में।

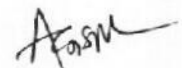
उपरोक्त विषयक वाद संख्या 04/2025-26 परिवादी श्री विपिन चन्द्र तिवारी, इंडस टॉवर लिमिटेड, के शिकायत पत्र के सम्बन्ध में मंच द्वारा दिये गये निर्णय की प्रति संलग्नकर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि, दिये गये निर्णयों का अनुपालन करते हुए आप अनुपालनार्थ आख्या से 30 दिनों के अन्तर्गत अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

संलग्न:- यथापरोक्त।

(अर्जुन सिंह बिष्ट)

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. कम्पनी सचिव, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०, वि०क्रा०वि०ग०सि०म०, कांवली रोड, देहरादून।
2. परिवादी श्री विपिन चन्द्र तिवारी, इंडस टॉवर लिमिटेड।
3. फाइल नं०-04/उ.शि.नि.मं./क.क्षे./शि.नि./2025-26।
4. गार्ड फाइल।



(अर्जुन सिंह बिष्ट)
सदस्य-उपभोक्ता

उपभोक्ता शिकायत निवारण म
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL



विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

पत्रांक:- 38 /उ०शि०नि०म० / क०क्ष० / शि०नि० / 2025-26,

दिनांक:- 20/06/2025

वाद संख्या 04 / 2025-26

श्री विपिन चन्द्र तिवारी,
इडस टॉवर लिमिटेड।

-

परिवादी

बनाम

अधिशाली अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड,
रुद्रप्रयाग।

-

विपक्षी

कोरम

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट
श्री सन्तोष डिमरी
श्री रघुराज सिंह

उपभोक्ता सदस्य
विधि सदस्य
तकनीकी सदस्य

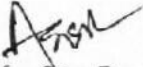
निर्णय

1. परिवाद विद्युत बिल के सन्दर्भ में है। श्री विपिन चन्द्र तिवारी, इडस टॉवर लिमिटेड, वि०वि०खण्ड रुद्रप्रयाग ने दिनांक 15.04.2025 को पत्र के माध्यम से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग को अवगत किया कि, प्रार्थी द्वारा पूर्व में दर्ज शिकायत सं०-439 / 2024-25 के निर्णय का अनुपालन विभाग द्वारा वर्तमान तक नहीं किया गया है।
2. मंच द्वारा दर्ज शिकायत की सुनवाई दिनांक 09.05.2025 के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुए, विभाग की ओर से श्री के०एन० मिश्रा, उपखण्ड अधिकारी वि०वि० उपखण्ड रुद्रप्रयाग उपस्थित हुए। विभाग ने मंच के सम्मुख पत्रांक 841 वि०वि०ख०रू० / दिनांक 08.05.2025 द्वारा उक्त उपभोक्ता की पत्रावलियां प्रस्तुत की।
3. मंच द्वारा पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार विभाग द्वारा उपभोक्ता की शिकायत का समाधान कर उपभोक्ता के विद्युत बीजक को संशोधित कर दिया गया है।

आदेश

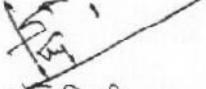
परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद बलहीन होने के कारण अस्वीकार किया जाता है। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून में अपील कर सकता है।

तदनुसार परिवाद खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।



अर्जुन सिंह बिष्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

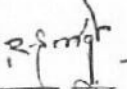
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (खण्डल) UPCL



सन्तोष डिमरी
(विधि सदस्य)

सदस्य-विधि

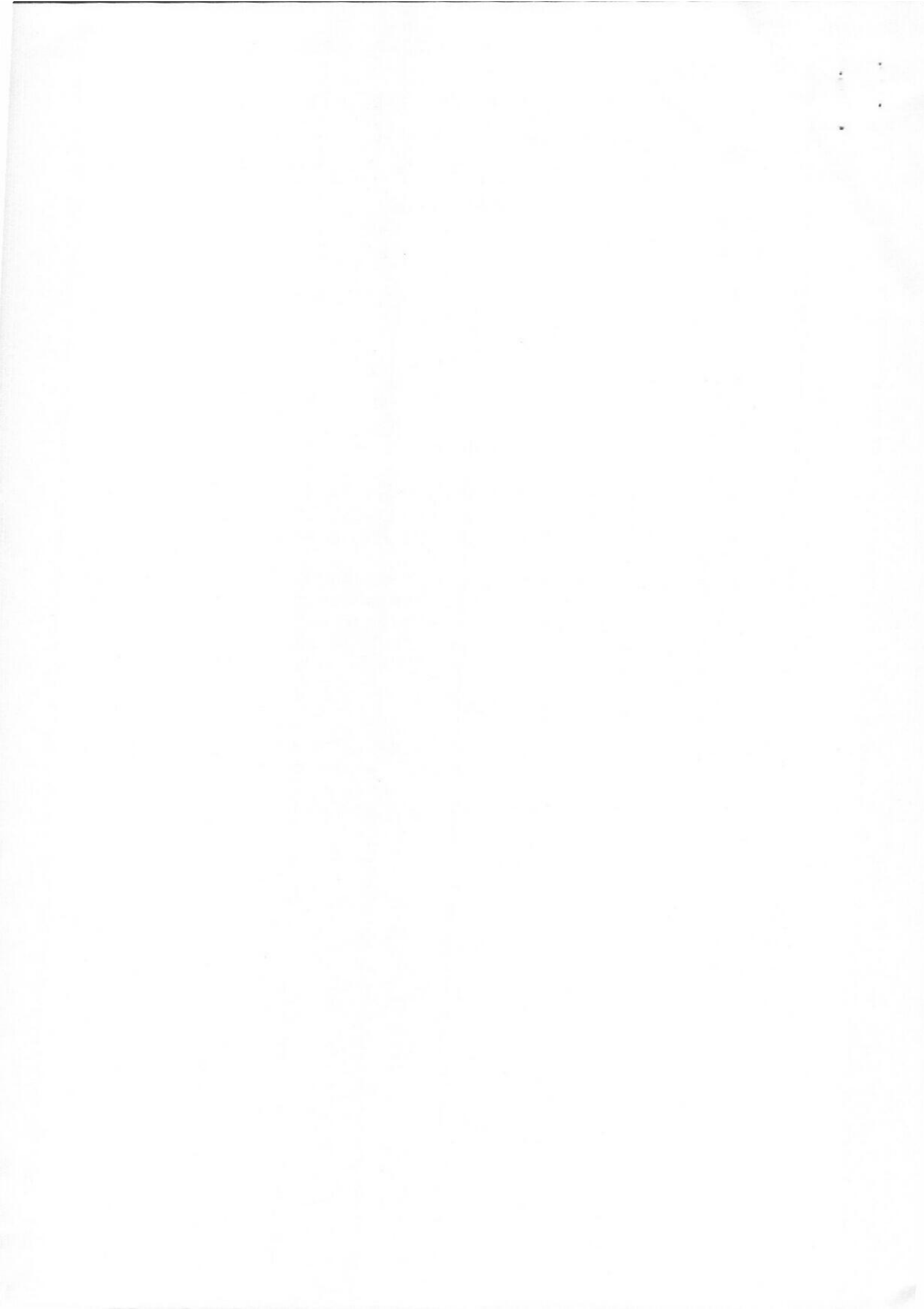
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (खण्डल) UPCL



रघुराज सिंह
(तकनीकी सदस्य)

सदस्य-तकनीकी

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (खण्डल) UPCL



विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

पत्रांक:- 39 /उ०शि०नि०मं०/क०क्ष०/शि०नि०/2025-26,

दिनांक:- 20/06/2025

अधिकासी अभियन्ता,
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०,
विद्युत वितरण खण्ड रुद्रप्रयाग।

विषय:- उपभोक्ता वाद संख्या 06/2025-26 के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक वाद संख्या 06/2025-26 परिवादी श्री विपिन चन्द्र तिवारी, इंडस टॉवर लिमिटेड, के शिकायत पत्र के सम्बन्ध में मंच द्वारा दिये गये निर्णय की प्रति संलग्नकर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि, दिये गये निर्णयों का अनुपालन करते हुए आप अनुपालनार्थ आख्या से 30 दिनों के अन्तर्गत अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

संलग्न:- यथापरोक्त।

(अर्जुन सिंह बिष्ट)

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. कम्पनी सचिव, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०, वि०क्रा०वि०ग०सि०भ०, कांवली रोड़, देहरादून।
2. परिवादी श्री विपिन चन्द्र तिवारी, इंडस टॉवर लिमिटेड।
3. फाइल नं०-06/उ.शि.नि.मं./क.क्ष./शि.नि./2025-26।
4. गार्ड फाइल।

(अर्जुन सिंह बिष्ट)

सदस्य-उपभोक्ता

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

पत्रांक:- 39 / उ०शि०नि०म० / क०क्ष० / शि०नि० / 2025-26,

दिनांक:- 20/06/2025

वाद संख्या 06/2025-26

श्री विपिन चन्द्र तिवारी,
इडस टॉवर लिमिटेड।

परिवादी

बनाम

अधिशाली अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड,
रूद्रप्रयाग।

विपक्षी

कोरम

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट
श्री सन्तोष डिमरी
श्री रघुराज सिंह

उपभोक्ता सदस्य
विधि सदस्य
तकनीकी सदस्य

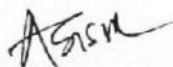
निर्णय

- परिवाद अधिक विद्युत बिल के सन्दर्भ में है। श्री विपिन चन्द्र तिवारी, इडस टॉवर लिमिटेड, वि०वि०खण्ड रूद्रप्रयाग ने दिनांक 15.04.2025 को पत्र के माध्यम से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग को अवगत किया कि, प्रार्थी की शिकायत के निम्न बिन्दु हैं-
 - कि प्रार्थी का स्थायी कनेक्शन रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत सांकरी में इडस टॉवर लिमिटेड है, जिसका खाता सं०-40117924604 है, तथा विद्युत भार 18 किलोवाट का है।
 - कि दिनांक 31 नवम्बर 2024 से 31 दिसम्बर 2024 तक की अवधि के लिए जारी किए 25322 यूनिट का रू० 170096 का बिल दिया गया। जबकि 25322 यूनिट खपत का बिल 18 किलोवाट कनेक्शन में पूरी तरह असामान्य है।
 - लगातार पिछले 3 माह के बिल के अनुसार खपत 1611 यूनिट है, जबकि 25322 यूनिट का प्रस्ताव अनुचित है।
- मंच द्वारा दर्ज शिकायत की सुनवाई दिनांक 09.05.2025 के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुए, विभाग की ओर से श्री के०एन० मिश्रा, उपखण्ड अधिकारी वि०वि० उपखण्ड रूद्रप्रयाग उपस्थित हुए। विभाग ने मंच के सम्मुख पत्रांक 842 वि०वि०ख०रू० / दिनांक 08.05.2025 द्वारा उक्त उपभोक्ता की पत्रावलिया प्रस्तुत की।
- मंच द्वारा पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार विभाग द्वारा उपभोक्ता की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

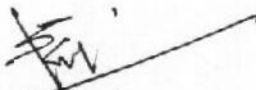
परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद का समाधान वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कर दिया गया है। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून में अपील कर सकता है।

तदनुसार परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।



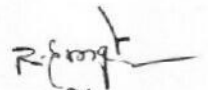
अर्जुन सिंह बिष्ट
(उपभोक्ता सदस्य)
सदस्य-उपभोक्ता

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL



सन्तोष डिमरी
(विधि सदस्य)
सदस्य-विधि

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL



रघुराज सिंह
(तकनीकी सदस्य)
सदस्य-तकनीकी

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

पत्रांक:- 40/उ०शि०नि०मं०/क०क्षे०/शि०नि०/2025-26.

दिनांक:- 20/06/2025

अधिशाली अभियन्ता,
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०,
विद्युत वितरण खण्ड रूद्रप्रयाग।

विषय:- उपभोक्ता वाद संख्या 07/2025-26 के सम्बन्ध में।

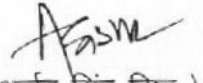
उपरोक्त विषयक वाद संख्या 07/2025-26 परिवादी श्री बिरेश चन्द्र शुक्ला श्री केदारनाथ धाम, के शिकायत पत्र के सम्बन्ध में मंच द्वारा दिये गये निर्णय की प्रति संलग्नकर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि, दिये गये निर्णयों का अनुपालन करते हुए आप अनुपालनार्थ आख्या से 30 दिनों के अन्तर्गत अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

संलग्न:- यथापरोक्त।

(अर्जुन सिंह बिष्ट)

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. कम्पनी सचिव, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०, वि०क्रा०वि०ग०सि०मं०, कांवली रोड, देहरादून।
2. परिवादी श्री बिरेश चन्द्र शुक्ला श्री केदारनाथ धाम।
3. फाइल नं०-07/उ.शि.नि.मं./क.क्षे./शि.नि./2025-26।
4. गार्ड फाइल।


(अर्जुन सिंह बिष्ट)

सदस्य-उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

पत्रांक:- ५० /उ०शि०नि०मं० / क०क्षे० / शि०नि० / 2025-26.

दिनांक:- 20/06/2025

वाद संख्या 07/2025-26

बिरेश चंद्र शुक्ला
श्री केदारनाथ धाम।

-

परिवादी

अधिशाली अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड,
रूद्रप्रयाग।

बनाम

-

विपक्षी

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट
श्री सन्तोष डिमरी
श्री रघुराज सिंह

कोरम

उपभोक्ता सदस्य
विधि सदस्य
तकनीकी सदस्य

निर्णय

1. परिवार अधिक विद्युत बिल के सन्दर्भ में है। श्री बिरेश चन्द्र शुक्ला श्री केदारनाथ धाम, वि०वि०खण्ड रूद्रप्रयाग ने दिनांक 26.04.2025 को पत्र के माध्यम से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग को अवगत किया कि, श्री केदारनाथ धाम के कपाट पिछले वर्ष दिनांक 3.11.2024 को बंद होने के बाद विभाग द्वारा स्वयं उपभोक्ता का विद्युत कनेक्शन कट कर दिया था। 2 मई 2025 को श्री केदारनाथ धाम में कपाट खुलने से पहले विभाग द्वारा उपभोक्ता से विद्युत बिल NR में दिखाकर रू० 10,000 वसूला गया है। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
2. मंच द्वारा दर्ज शिकायत की सुनवाई दिनांक 09.05.2025 के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुए, विभाग की ओर से श्री के०एन० मिश्रा, उपखण्ड अधिकारी वि०वि० उपखण्ड रूद्रप्रयाग उपस्थित हुए। विभाग ने मंच के सम्मुख पत्रांक 843 वि०वि०ख०रू०/ दिनांक 08.05.2025 द्वारा उक्त उपभोक्ता की पत्रावलियां प्रस्तुत की।
3. मंच द्वारा पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार विभाग द्वारा उपभोक्ता की शिकायत का समाधान कर दिया गया है एवं उपभोक्ता द्वारा भी पत्र के माध्यम से मंच को अवगत किया गया कि विभाग द्वारा उपभोक्ता की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवार का समाधान वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कर दिया गया है। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून में अपील कर सकता है।

तदनुसार परिवार निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

अर्जुन सिंह बिष्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

सदस्य-उपभोक्ता

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सन्तोष डिमरी
(विधि सदस्य)

सदस्य-विधि

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

रघुराज सिंह
(तकनीकी सदस्य)

सदस्य-तकनीकी

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

